



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012021-224178
CG-DL-E-04012021-224178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 2021/पौष 14, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 2021/PAUSHA 14, 1942

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 21(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 मई 2019 में प्रकाशित, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1746(अ), तारीख 9 मई 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“श्री असिम कुमार पॉल,

मुख्य महाप्रबंधक आई/सी (कार्मिक और प्रशासन),

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र,

दुर्गापुर -713204।”

[फा. सं. 8(16)/2012- सेल-पीसी पार्ट-फाइल]

पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2020

S.O. 21(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel number S.O. 1746 (E), dated the 9th May, 2019, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th May, 2019, namely:-

In the said notification, in the table, against serial number 2, for the entries under columns (2), the following entries shall be substituted, namely:-

“Shri Asim Kumar Paul,
Chief General Manager I/c (P&A),
Durgapur Steel Plant,
Durgapur - 713204.”

[F. No. 8(16)/2012-SAIL-PC Pt-File]

PUNEET KANSAL, Jt. Secy.